

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यरत स्थान	अवधि	राउमावि/राबाउमावि जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्रीमती संध्या भोजक व्या. अंग्रेजी, रा. एम एम उमावि, बीकानेर	अक्टूबर 21 से फरवरी-22 तक	राउमावि भादला, पांचू, बीकानेर में व्याख्याता भौतिक के रिक्त पद विरुद्ध।
2	श्री कमलेश कुमार व्याख्याता संस्कृत, राउमावि बादूसर, लक्षमणगढ, सीकर	दिसम्बर-21 से फरवरी-22 तक	शहीद दयाचन्द राउमावि रहनावा, माधोपुर, सीकर में व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद विरुद्ध।
3	श्री रामेश्वर दयाल शर्मा व्या. संस्कृत, राबाउमावि कमला नेहरू, जयपुर	अक्टूबर-21	राबाउमावि कमला नेहरू, जयपुर में व्याख्याता संगीत के रिक्त पद विरुद्ध।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/वेतन व्यवस्था/2020-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट
6. रक्षित पत्रावली

दिनांक : 27.01.2022

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर